भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2021/E(RRB)/23/09

New Delhi, dated: 2.10.2021

The PCPOs,
All Indian Railways.

The Chairpersons,
All Railway Recruitment Board.

Sub: Replacement of RRB papers on resignation of candidates

The issue of shortfall that arises on account of resignation of candidates empanelled by RRB immediately after joining Railway Service while on training/probation has been considered by Board.

- 2. The Fifth Central Pay Commission, in para 17.11 of its Report, has recommended that with a view to reduce delay in filing up of the posts, vacancies resulting from resignation or death of an incumbent within one year of his appointment should be filled immediately by the candidate from the reserve list, if a fresh panel is not available by then. Such a vacancy should not be treated as fresh vacancy. These recommendations have been adopted by DOP&T vide their OM No. 41019/18/97-Estt(B) dated 13.06.2000.
- 3. It has now been decided to adopt instructions issued vide DOP&T's O.M. dated 13.06.2000 mutatis mutandis in Railways and these instructions may be followed by Zonal Railways for seeking replacement list from RRBs as per their needs and availability of vacancies in the event of any shortfall on account non-joining of the candidate within stipulated time given for joining the post or resignation/ demise of the candidate within a period of one year from the date of joining of the candidate provided the currency of panel is live and no fresh panel is available.

(Vidya Dhar Sharma)

Dir. Estt.(RRB) Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/ई(आरआरबी)/23/09

नई दिल्ली, दिनांक 22.10.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।

अध्यक्ष, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड।

विषय: अअयर्थियों के त्यागपत्र देने पर रेलवे अर्ती बोर्ड के कागजातों का प्रतिस्थापन।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पैनलबद्ध अभ्यर्थियों के रेल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद प्रशिक्षण/परिवीक्षा के दौरान त्यागपत्र देने के कारण कर्मचारियों की कमी होने के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

- 2. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 17.11 में सिफारिश की है कि पदों को भरने में होने वाले विलंब को कम करने की दृष्टि से, किसी पदधारी की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने या मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न रिक्तियों को भरते समय यदि कोई नया पैनल उपलब्ध न हो तो उसे आरक्षित सूची के अभ्यर्थी द्वारा तत्काल भरा जाए। ऐसी रिक्ति को नई रिक्ति नहीं माना जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.06.2000 के कार्यालय जापन सं.41019/18/97-एस्ट.(बी) के तहत ये सिफारिशं स्वीकार कर ली गई हैं।
- 3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.06.2000 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी अनुदेशों को अब रेलों में यथोचित परिवर्तनों के साथ स्वीकार करने का विनिश्चय किया गया है और अभ्यर्थी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने या अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अविध के भीतर अभ्यर्थी के त्यागपत्र देने/मृत्यु होने के कारण कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में आवश्यकता या रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड से प्रतिस्थापन सूची मांगने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन अनुदेशों का अनुपालन किया जाए बशर्त पैनल की अविध वैध हो और कोई नया पैनल उपलब्ध न हो।

(विद्याधर शर्मा) निदेशक, स्थापना (आरआरबी) रेलवे बोर्ड